

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 633] No. 633] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर ८, 2016/भाद्र 17, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 871(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि चीनी का कोई भी उत्पादक महीने के अंत तक निम्नलिखित मात्रा से अधिक चीनी का कोई भी स्टाक नहीं रखेगा :-

(क) सितम्बर, 2016

2015-16 चीनी मौसम के दौरान उनके पास उपलब्ध कुल

चीनी का 37%

(ख) अक्तूबर, 2016

2015-16 चीनी मौसम के दौरान उनके पास उपलब्ध कुल

चीनी का 24%

2. व्यष्टि उत्पादक के पास चीनी उपलब्धता की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी:-

"अक्तूबर, 2015 को चीनी का आदिशेष स्टाक +2015-16 चीनी मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन – 2015-16 चीनी मौसम के दौरान चीनी का निर्यात"।

- 3. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को इस आदेश को लागू करने के लिए प्राधिकृत करती है।
- 4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृतित होगा और उक्त आदेश 31 अक्तूबर, 2016 तक प्रवृत्त रहेगा।

[फा. सं. 1(6)/2016'एसपी-I]

सुभाशीष पांडा, संयुक्त सचिव

4361 GI/2016 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2016

- **G.S.R. 871(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no producer of sugar shall hold any stock of sugar in excess of the quantities at the end of the month mentioned below:—
 - (a) September, 2016: 37% of the total sugar available with them during 2015-16 sugar season.
 - (b) October, 2016: 24% of the total sugar available with them during 2015-16 sugar season.
- 2. Total availability of sugar of individual producer shall be calculated as under:
 - "Opening stock of sugar as on 1st October, 2015 + Production of sugar during 2015-16 sugar season Export of sugar during 2015-16 sugar season".
- 3. Further, in exercise of powers conferred by clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966 the Central Government also hereby authorizes the State Governments or Union territory Administrations to enforce this order.
- 4. This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and the said order shall remain in force till the 31st October, 2016.

[F. No. 1(6)/2016-SP-I]

SUBHASISH PANDA, Jt. Secy.